आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :फरीदपुर
वाद संख्या :-03648/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812130303648
शम्भू नरायन फाउन्डेशन चैरेटेबिल ट्रस्ट ट्रस्टी ईला अरोडा मेहरा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय आदेश दिनांक 21-12-18

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही शम्भू नरायन फाउन्डेशन चैरेटेबिल ट्रस्ट 91 जनकपुरी, बरेली उ0प्र0 द्वारा ट्रस्टी श्रीमती डा0 ईला अरोडा मेहरा पुत्री श्री लक्ष्मन दास अरोडा पत्नी श्री सुमित मेहरा निवासी 91 जनकपुरी बरेली के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादिनी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि आराजी गाटा सं0 173 रकबा 0.813हे0, गाटा सं0 174 रकबा 0.825हे0 व गाटा सं0 175 रकबा 0.660हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 2.298हे0 भूमि ग्राम दियोरनिया परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली मे स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादिनी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य मे प्रयुक्त हो रही है। वादग्रस्त आराजी पर वादिनी द्वारा विद्यालय बनाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वादिनी वादग्रस्त आराजी को अकृषक घोषित कराना चाहती है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादिनी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर से स्थलीय जांच कराई गई, तहसीलदार फरीदपुर द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 18.12.2018 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या में अंकित है कि ग्राम दियोरनिया पर0 व तह0 फरीदपुर जिला बरेली के गाटा सं0 173 रकबा 0.813हे0, गाटा सं0 174 रकबा 0.825हे0 व गाटा सं0 175 रकबा 0.660हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 2.298हे0 पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है, और न ही कुक्कुट पालन आदि का कार्य हो रहा है। मौके पर भूमि के चारों ओर बाउन्ड्री बाल बनी हुई है, तथा शिक्षण संस्थान के उद्देश्य से भवन निर्माण चल रहा है। भूमि स्थित ग्राम दियोरनिया पर0 व तह0 फरीदपुर जिला बरेली के गाटा सं0 173 रकबा 0.813हे0, गाटा सं0 174 रकबा 0.825हे0 व गाटा सं0 175 रकबा 0.660हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 2.298हे0 को अकृषक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित इस न्यायालय में प्रेषित की गई है। वादिनी द्वारा उद्घोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित शुल्क 59,748/— द्वारा चालान भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर मे दिनांक 27.12.2018 को जमा किया जा चुका है, जो पत्रावली मे संलग्न है। तहसीलदार फरीदपुर द्वारा प्रेषित आख्या में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। वादिनी का प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 18.12.2018 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर शम्भू नरायन फाउन्डेशन चैरेटेबिल ट्रस्ट 91 जनकपुरी बरेली उ0प्र0 द्वारा ट्रस्टी श्रीमती डा0 ईला अरोडा मेहरा पुत्री श्री लक्ष्मन दास

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :फरीदपुर
वाद संख्या :-03648/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812130303648
शम्भू नरायन फाउन्डेशन चैरेटेबिल ट्रस्ट ट्रस्टी ईला अरोडा मेहरा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

अरोड़ा पत्नी श्री सुमित मेहरा निवासी 91 जनकपुरी बरेली का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2018 एवं तहसीलदार फरीदपुर की जांच आख्या दिनांक 18.12.2018 स्वीकार की जाती है, भूमि स्थित ग्राम ग्राम दियोरनियां प० व तह० फरीदपुर जिला बरेली के गाटा सं0 173 रकबा 0.813हे0, गाटा सं0 174 रकबा 0.825हे0 व गाटा सं0 17 रकबा 0.660हे0 कुल 03 किता कुल रकबा 2.298हे0 अकृषक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिबन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि वह प्रश्नगत आराजी को अकृषक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- 24-12-18

हस्ताक्षर अपठनीय
(राकेश सिंह)
उप जिलाधिकारी
फरीदपुर

SE ईला अरोड़ा मेहरा
235 24-12-18
24-12-18
141/-